ISBN: 978-93-93166-00-5

# भारत में भ्रष्टाचार निवारण संवैधानिक और संस्थागत ढांचा

**डॉ. सविता सहारे**
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति शास्त्र विभाग
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, भारत

**सारांश**

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 संशोधन 2018 भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रमुख संस्थान है-

1. लोकपाल ( लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013)
2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) (Established in 1964) Act 2003
3. केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) in 1963 (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापनअधिनियम, 1946 डीएस पीई अधिनियम)

IPC 1860 में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रावधान

धारा 169. लोक सेवक व विधि विरूद्ध रूप से सम्पति क्रय या उसके लिए बोली लगाना।

ISBN: 978-93-93166-00-5

**धारा 409 लोक सेवक**

**प्रस्तावना**

भष्टाचार शब्द संस्कृत के 'भ्रष्ट'शब्द के साथ "आचार" शब्द के योग से निष्पन्न हुआ है। भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ अथवा विचलित और "आचार" का अर्थ है- आचरण, व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्यों के विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार हैं।

भ्रष्टाचार के विविध रूप

वर्तमान में भ्रष्टाचार इतना है कि, उसे विविध रूप देखने में आते है।

जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार है-

**रिश्वत**

किसी कार्य को करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया उपहार सुविधा अथवा नगद धनराशि को रिश्वत कहा जाता है। इसी को साधारण भाषा में भ्रष्टाचार2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) द्वारा अपनी चौथी रिपोर्ट में रिश्वत देने को अपराध के रूप में शामिल करने कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व स्वीकृति सम्बंधी प्रावधान में छूट प्रदान करने और भ्रष्टाचार के आरोपी सार्वजनिक अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त करने संबंधी प्रावधान है।

सुविधा शुल्क भी कहा जाता हैं। अपने कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए अथवा नियमों के विपरीत कार्य कराने के लिए अथवा सहर्ष रिश्वत देते है। (शामिल करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी)

**कमीशन**

किसी उत्पाद अथवा सेवा के सौदों में किसी समक्ष व्यक्ति द्वारा सौदे के बदले में विक्रता अथवा सुविधा प्रदाता से कुल सौदे के मूल्य का एक

ISBN: 978-93-93166-00-5

निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कमीशन हैं। आज सरकारी, अर्धसरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अधिकांश सौदों अथवा ठेको में कमीशन बाजी का वर्चस्व हैं।

**यौन शोषण**

यह भ्रष्टाचार का सर्वथा नवीन रूप है इसमें प्रभावशाली व्यक्ति विपरीत लिंग के व्यक्ति को अपनी प्रभाव का प्रयोग करते हुये अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उसका यौन शोषण करता हैं।

**भ्रष्टाचार के कारण**

भ्रष्टाचार के यद्यपि अनेक कारण है जिनमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है:-

**मंहगी शिक्षा**

शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसे अत्यधिक मंहगा कर दिया है। आज जब एक युवा शिक्षा पर लाखों रुपये खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि उसने अपने शिक्षा पर जो खर्च किया है उसे किसी भी उचित अनुचित रूप से ब्याजसहित उसूले, उसकी यही सोच मिटाये बिना देश का मंहगाई उसे भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देती है।

**जनजागरण का अभाव** हमारे देश के बहुसंख्यक जनता अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, जिसका लाभ उठाकर प्रभावशाली लोग उसका शोषण करते रहे हैं।

विलासितापूर्ण आधुनिक जीवन शैली:- पाश्चात्य सभ्यता की विलासिता पूर्ण जीवन शैली ने अपनी चकाचौंध से युवा वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया है, जिस कारण वह शीघ्र अतिशीघ्र भोगविलास के सभी साधनों को प्राप्त करके जीवन के समस्त सुख प्राप्त करने का मोह नहीं छोड़ पाता, उचित अनुचित हथकंढे अपनाकर विलासिता के समस्त साधनों को प्राप्त करने में जुट जाता हैं।

**जीवन मूल्यों का ह्रास और चारित्रिक पतन**

ISBN: 978-93-93166-00-5

आज व्यक्ति के जीवन से मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो गया है। उसे उचित अनुचित का भेद ही नहीं दिखाई देता, जीवन मूल्यों के इसी ह्रास ने व्यक्ति का चारित्रिक पतन कर दिया हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते है।

**भ्रष्टाचार निवारण के उपाय**

भ्रष्टाचार को दूर करने के मुख्य उपाय इस प्रकार हैं-

**जन आंदोलन**

भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपाया जन आंदोलन है। जन आंदोलन के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

**कठोर कानून**

कठोर कानून बनाकर ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकतीयदि लोगों को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं कर सकता हैतो प्रत्येक व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले हजार बार सोचेगा।

**निःशुल्क उच्च शिक्षा**

भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश तभी लगाया जा सकता है जब देश के प्रत्येक युवा को निःशुल्क उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा।

**नैतिक मूल्यों की स्थापना**

नैतिक मूल्यों की स्थापना करके भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है।

**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988**

भ्रष्टाचार अधिनियम में पाँच अध्याय एवं 31 धाराएँ हैं:-

2005 में भारत में ट्रांसपेंरेसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा किये गये एक अध्ययन में पाया गया है कि 62 प्रतिशत से अधिक भारतवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिये रिश्वत।

**भ्रष्टाचार से संबंधित कानून**

ISBN: 978-93-93166-00-5

1. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947
2. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988
3. व्हिसल ब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम, 2071
4. अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1954 एवं केन्द्रीय नागरिक सेवा नियम 1956
5. बेनामी लेनदेन (निशेष) अधिनियम, 1988 एवं संशोधन 2016
6. अर्द्धशोधन निवारण अधिनियम, 2002 ( 3 से 7 साल )
7. लोकपाल अधिनियम, 2013

**प्रमुख प्रावधान**

धारा 5- विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति- (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिये इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए जो आवश्यक हो ।

धारा 7 – लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाना, (1-7)

धारा 8 –लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण कर लेना।

धारा 9 –लोक सेवक पर व्यक्ति के असर डालने के लिए परितोषण कर लेना।

धारा 10 –लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिये दण्ड।

धारा 17 –अण्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति।

धारा 19 –अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना।

धारा 20 –जहां लोक सेवक वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण प्रति ग्रहित करता है वहां उपधारणा।

ISBN: 978-93-93166-00-5

**भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988**

अधिनियम क्रमांक 49 सन्, 1988 लागू 9 सितम्बर 1988

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 अधिनियम क्रमांक- 16 सन् 2018 लागू 26 जुलाई 2018

उद्देश्य

संबंधित विधि को समेकन और संशोधन करना। यह अधिनियम पाँच अध्याय में विभाजित और 31 धारा हैं।

धारा 1 –में अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिया है, जिसको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कहते हैं।

**धारा 2 – परिभाषा**

(क)निर्वाचन (Election)निहित Prescribe लोक कर्तव्य (Public duty), लोक सेवक, असम्यक लाभ।

धारा 3 –विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति, योग्यता – सेशन न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायधीश, सहायक सत्र न्यायधीश हो या रहा हो।

धारा 4 –विशेष न्यायधीश द्वारा विचारणीय मामले अपराध विशेष न्यायधीश द्वारा विचारणीय होंगे। विचारण 2 वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।

परन्तु 2 वर्ष के भीतर पुरे नहीं होने पर विशेष न्यायधीश उन कारणों को लेखबद्ध करेगा।

परन्तु 2 वर्ष के भीतर पूरे नहीं पर विशेष न्यायधीश उएन कारणों को लेखबद्ध कारणों से एक समय में 6 माह तक आगे बढ़ाया जा सकेगा लेकिन वह 4 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

धारा 5 – विशेष न्यायधीश की शक्तियां

मजिस्ट्रेट वारंट मामलो के सामान विहित प्रक्रिया का पालन करेगा।

अपराधी द्वारा सतय प्रगट करने पर विशेष न्यायधीश क्षमा प्रदान

ISBN: 978-93-93166-00-5

कर सकता हैं।

विशेष न्यायधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जायेगा और अभियोजन संचालक व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जायेगा।

विशेष न्यायधीश दोष सिद्ध होने पर दंड दे सकता है।

**धारा 6 – संक्षिप्त विचारण की शक्ति**

संक्षिप्त विचारण दोषसिद्धि की दशा में विशेष न्यायाधीश 1 वर्ष अनधिक दण्ड देगा।

यदि विशेष न्यायाधीश एक माह से अनधिक कारावास और 2 हजार रूपये से अनधिक जुर्माने का दंड देता है तो दोषसिद्धि व्यक्ति अपिल नहीं कर सकता है।

धारा 7- लोक सेवक को रिश्वत दिये जाने से संबंधित अपराधः

यदि कोई लोक सेवक द्वारा किया जाता है, तो कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी जो 7 वर्ष तक हो सकती है। धारा 7 (क) असम्यक लाभ लेना। कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी। जो 7 वर्ष तक हो सकेगी।

**धारा 8- किसी लोक सेवक को रिश्वत देने संबंधित अपराध**

कोई किसी को असम्यक लाभ देता है या अनुचित कार्य करने कहते है।

या लोक सेवक को इनाम देता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास 7 वर्ष का हो सकता हैं।

परन्तु यह उपबंध लागू नहीं होगा जहां दबाओं में करवाया गया है ।

परन्तु 7 दिनों को भीतर विधि प्रवर्तन अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी को जानकारी देना होगा।

धारा 9- वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत देना। ऐसा करने पर जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

परन्तु वाणिज्यिक संगठन द्वारा यह कहने पर की हमने उचित

ISBN: 978-93-93166-00-5

प्रक्रिया अपना रखी थी तो उनको बचाव मिलेगा।

धारा 10 –वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराधी होना।

कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना भी लग सकता हैं।

धारा 11– असम्यक लाभ अभिप्राप्त करना।

कारावास 6 माह से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना भी लग सकता हैं1

धारा 12 –अपराधो के दुष्प्ररेण के लिए दंड।

कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगी जो 7 वर्ष तक हो सकती हैं।

धारा 13–लोक सेवक द्वारा अपराधिक अवचार ।

यदि लोक सेवक अपराधि अवचार करेगा तो कारावास 4 वर्ष से कम नहीं होगी जो अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकती हैं।

धारा 14 – अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड।

यदि कोई अभ्यासिक अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को कारावास 5 वर्ष से कम नहीं होगी जो 10 वर्ष तक हो सकती है। और जुर्माना भी हो सकता हैं।

**धारा 15– प्रयत्न के दंड**

जो कोई ऐसे अपराधकरने का प्रयत्न करेगा जिसे कारावास 2 वर्ष से कम नहीं होगी जो 5 वर्ष तक हो सकती हैं।

धारा 17 – अन्वेषण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति।

दिल्ली विशेष पुलिस की दशा में- पुलिस निरीक्षक

महानगरीय क्षेत्रों के लिये- सहायक पुलिस आयुक्त

मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना- उप पुलिस अधीक्षक

धारा 13 के लिये- पुलिस अधीक्षक के नीचे का नहीं हो।

धारा 17 (क)- लोक सेवक द्वारा शासकीय कृत्यों या कर्तव्य के दौरान सिफारिश के लिये।

ISBN: 978-93-93166-00-5

धारा 18 – बैंककारी बहियों का निरीक्षण की शक्ति।

सक्षम व्यक्ति पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

धारा 19 – अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी।

कोई न्यायालय द्वारा धारा 7,11, 13, 15 संज्ञान लिये मंजूरी लेगा।

धारा 20 – असम्यक लाभ के लिए उपधारणा।

धारा 21 – अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना।

आरोपित व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा।

धारा 27 – अपील और पुनरीक्षण।

धारा 29(क) – नियम बनाने की शक्ति।

1. भ्रष्टाचार निवारण के उपाय
2. आत्म नियंत्रण और नैतिक उत्थान।
3. आर्थिक असमानता को दूर करना।
4. कठोर और प्रभावी व्यवस्था तथा सही क्रियान्वयन।
5. लोकपाल लोकायुक्त कानून का सुदृढ़ीकरण एवं क्रियान्वयन।
6. आई सी टी डिजीटलीकरण सेवाओं का विस्तार।
7. भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार।
8. सामाजिक जागरूकता उदाहरण हांगकांग की आई सी एस सी (इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन)
9. CVC और CBI की जांच विंग पूरी तरह से लोकपाल के साथ एकीकृत हो और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था शीर्ष स्तर पर लोकपाल हो।
10. सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन।

**उपसंहार**

संक्षेप में भ्रष्टाचार के कारण जहां लोगों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है वहीं दूसरी ओर देश को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। भ्रष्टाचार देश के लिये कलंक है और उसे मिटाये बिना देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं हैं।